पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 04/7/17 केम्प मूण्डला ... को पेश हो।

4/7/17

पत्रावली लोक अदालत केम्प मूण्डला में पेश हुई। अधिवक्ता मय पक्षकार उपस्थित, प्रतिपक्षी नं0 4, 5 की ओर से वकील श्री बृजमोहन मालव मजमें आम में उपस्थित है। प्रतिपक्षी नं0 1 बावजूद सूचना आज दिनांक तक न तो न्यायालय में उपस्थित हुई है और न हीं लोक अदालत में उपस्थित है। दिनांक 12.06.2017 को तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के तामील कुलन्दा द्वारा प्रतिवादी नं0 1 व 2 की तामील की गई, प्रतिवादी नं0 1 व 2 स्वयं मिली किन्तु तामील लेनें से इन्कार कर दिया ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं0 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वादी द्वारा मजमें आम में उपस्थित होकर जाहिर किया गया कि ग्राम डगारियां तहसील दीगोद में स्थित ख0नं0 367 रकबा 4.46 हे0, ख0नं0 377 रकबा 5.75 हे0, ख0नं0 472 रकबा 1.69 हे0 कुल किता 3 रकबा 10.90 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 का 1/32 हिस्सा निहित है, जिसमें हमारे मध्य हुए राजीनामा मुताबिक उक्त हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 के पक्ष में छोड़ देनें बाबत् प्रतिवादी नं0 1 कस्तूरी बाई के हिस्से की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 को खातेदार घोषित किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजीं साक्ष्य समझोता पत्र नोटेरी शुदा दिनांक 09.07.2014 में ग्राम डगारिया में स्थित विवादित भूमि वादी के दादा किशन गोपाल के 1/2 हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड है तथा ख0नं0 338 एवं 401 कुल किता 2 रकबा 3.84 हे0 भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के ससुर किशन गोपाल की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके पुत्र कंवरलाल जो प्रतिवादी नं0 1 का पति है तथा किशन गोपाल का पुत्र है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि में कंवरलाल का 1/3 हिस्सा निहित है, उक्त हिस्से को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा उनके कोई पुत्र नहीं होनें से उपरोक्त राजीनामा दिनांक 07.09.2014 के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 के बराबर–बराबर हिस्से से खातें दर्ज करवा देगी तथा उक्त भूमि में निहित हिस्से के बारे में कोई क्लेम नहीं करेगी, इस बाबत् समझोता पत्र में करार किया गया है। उक्त समझोता पत्र से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में बउनवानी प्रकरण राधेश्याम बनाम हीराबाई वगे0 एवं न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 4 कोटा में बउनवानी प्रकरण राधेश्याम बनाम कस्तूरी बाई वगे0 विचाराधीन प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर विड्रो किया जाकर निस्तारण किया जा चुका है। जिनकी प्रतियां वकील वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम डगारियां तहसील

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दीगोद स्थित ख0नं0 367 रकबा 4.46 हे0, ख0नं0 377 रकबा 5.75 हे0, ख0नं0 472 रकबा 1.69 हे0 कुल किता 3 रकबा 10.90 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 कस्तूरी बाई के निहित 1/32 हिस्से एवं ग्राम ढगारिया के ख0नं0 338 एवं 401 कुल किता 2 रकबा 3.84 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 कस्तूरी बाई के निहित हिस्से 1/16 का वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 द्वारा वर्तमान डी0एल0सी0 दर के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करवानें के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तदनुसार डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।	
31/7/17	पत्रावली प्रार्थी राधेश्याम की ओर से प्रस्तुत प्रा० पत्र 152 CPC पर पेश हुई, प्रार्थी ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4/7/17 मे ख० नं० एक रकबा टंकणीय त्रुटि से गलत टाईप हो जाने से दुरुस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया, बाद अवलोकन न्याय हित मे प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 4/7/17 मे अंकित ख०नं० 367 रकबा 4.46 हे० के स्थान पर ख०नं० 367 रकबा 3.46 हे० एवं ख०नं० 338 एवं 401 के स्थान पर ख०नं० 388 व 401 कुल किता 2 रकबा 3.84 हे० पढ़ा जावें। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री मे भी लाल स्याही से अंकन किया जावें।	